भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1664

गुरुवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर हार्डवेयर का उत्पादन</u>

1664. श्री उत्तम कुमार रेड्डीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सौर हार्डवेयर के उत्पादन में चीन के ऊपर निर्भरता का क्या कारण है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान आयातित सौर हार्डवेयर का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में सौर पैनल उत्पादन सुविधा केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या भारत में सौर हार्डवेयर के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) वर्तमान में घरेलू सौर सैल तथा मॉड्यूल विनिर्माताओं के सामने निम्नलिखित समस्याएं आ रही हैंः-

(i) देश में ऊर्जा तथा पूंजी खपत प्रक्रिया वाली पॉलीसिलिकॉन, इंगट्स व वेफर्स, सौर फोटोवोल्टेइक (पीवी) विनिर्माण की उच्चस्तरीय कार्यप्रणाली नहीं है।

(ii) एकीकृत ढांचे, बड़े पैमाने की लागत और आधुनिक प्रौद्योगिकी की कमी के कारण उत्पादन लागत अधिक हो जाती है।

(iii) भूमि और विद्युत की उच्च लागत, क्षमता का कम उपयोग, उच्च दरों पर ऋण और कुशल श्रमिकों की कमी।

उपरोक्त कारकों के परिणामस्वरूप चीन से आयातित सौर उत्पादों की तुलना में घरेलू सौर उत्पाद अधिक महंगे होते हैं।

(ख) वाणिज्य विभाग के आयात-निर्यात डेटा बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर सीमा प्रशुल्क शीर्ष (सीटीएच) 85414011 के तहत, सौर सैल/फोटोवोल्टेक सेल, चाहे वे एसेम्बल किए गए हों अथवा न किए हो, के आयात का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ग) सौर पीवी विनिर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के अनुसार, देश में कुल सौर पीवी पैनल विनिर्माण क्षमता लगभग 10 गीगावाट है।

(घ) तथा (ङ): भारत में सौर पीवी सेल तथा मॉड्यूलों के उत्पादन में भारत सरकार निम्न पहल के माध्यम से सहायता करती हैः-

(i) इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा भारत में सौर सेलों तथा पैनलों के घरेलू विनिर्माण में सहायता दी जा रही है। इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान हैः-

- विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए पूंजी व्यय में निवेश हेतु 20-25 प्रतिशत की सब्सिडी, और

- विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) से बाहर की यूनिटों के लिए पूंजीगत उपकरण हेतु प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी)/उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति।

(ii) सौर सेलों/मॉड्यूलों के आयात पर सुरक्षा शुल्क लगाने से संबंधित जांच में व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर सरकार ने 30 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. 01/2018-कस्टम (एसजी) के जरिए सौर सेलों के आयात पर निम्नानुसार सुरक्षा शुल्क लगाए हैं, चाहे वे मॉड्यूलों/पैनलों में एसेंबल किए गए हों या न हों:

- 25 प्रतिशत। यथा मूल्य में से देय पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, को कम करके, जब आयात 30 जुलाई, 2018 से 29 जुलाई, 2019 के दौरान (दोनों दिन सहित) किया गया हो;
- 20 प्रतिशत। यथा मूल्य में से देय पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, को कम करके, जब आयात 30 जुलाई, 2019 से 29 जनवरी, 2020 के दौरान (दोनों दिन सहित) किया गया हो;
- 15 प्रतिशत। यथा मूल्य में से देय पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, को कम करके, जब आयात 30 जनवरी, 2020 से 29 जुलाई, 2020 के दौरान (दोनों दिन सहित) किया गया हो।

तथापि, उपरोक्त वर्णित 30 जुलाई, 2018 की अधिसूचना में निहित कुछ भी, दिनांक 05 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. 19/2016-सीमा शुल्क (एनटी) के तहत चीन जनवादी गणराज्य और मलेशिया को छोड़कर विकासशील देशों के रूप अधिसूचित देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू नहीं होगा।

(iii) सरकार ने घरेलू विनिर्मित सौर पीवी सेलों तथा मॉड्यूलों का प्रयोग करके विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुरूप वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी उत्पादकों (केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू)/राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र उक्रम (एसपीएसयू)/सरकारी संगठनों आदि) द्वारा सौर पीवी विद्युत संयंत्र संस्थापित करने के लिए योजना को मंजूरी दी है। ताकि सौर पीवी विनिर्माण क्षेत्र में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जा सके।

(iv) इसके अलावा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पीएम-कुसुम जैसी अन्य योजनाओं के अंतर्गत सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं लागू की जा रही हैं और विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू स्रोतों से सौर पीवी सेलों तथा मॉड्यूलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II को भी अनिवार्य किया गया है।

(v) "अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश" से संबंधित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिनांक 11.12.2018 के अपने का.ज्ञा. सं. 146/57/2018-पीएंडसी द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि सिविल निर्माण कार्य के अलावा, ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए सौर पीवी मॉड्यूल जैसे घरेलू विनिर्मित/उत्पादित उत्पाद तथा इनवर्टर आदि में से अन्य अवयवों के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। सौर मॉड्यूलों के मामले में अपेक्षित स्थानीय सामग्री का न्यूनतम प्रतिशत 100 है तथा इन्वर्टर आदि जैसे अवयवों के लिए 40 प्रतिशत है।

(vi) भारतीय सौर ऊर्जा निगम लि. (सेकी) ने सौर पीवी विनिर्माण सुविधाओं से जुड़े सौर पीवी विद्युत संयंत्र स्थापित करने संबंधी निविदा के लिए बोली प्रक्रिया पूरी कर ली है।

अनुलग्नक

'सौर हार्डवेयर का उत्पादन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 28.11.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1664 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्त वर्ष		**2014-15** (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	**2015-16** (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	**2016-17** (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	**2017-18** (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	**2018-19** (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	**2019-20** (सितम्बर, 2019 तक) (अनन्तिम) (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
भारत में सीमा-शुल्क शीर्ष (सीटीएच) 85414011 के अंतर्गत आयातित सौर सेल/पीवी सेल, चाहे उन्हें मॉड्यूल/पैनल में एसेम्बल किया गया हो या नहीं, का मूल्य	चीन से	603	1960	2817	3419	1694	731
	अन्य देशों से	218	385	380	419	466	266
	कुल आयात	**821**	**2345**	**3197**	**3838**	**2160**	**997**

*****